

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 01/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर		1. रामेश्वर सिंह पुत्र श्री गंगाराम परिहार (मालिक एवं विक्रेता) मैं. हरिओम स्वीट्स, श्रीराम भवन हरिओम मार्केट, जोधपुर रोड़, मथानिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर निवासी-91, पाटिया वाला बेरा, कोटड़ा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)
(ii) एवं धारा 51 के तहत

- उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय परोकार उपस्थित।
 2. अप्रार्थी श्री रामेश्वर सिंह स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 08.05.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स हरिओम स्वीट्स, श्रीराम भवन, हरिओम मार्केट, जोधपुर रोड़, मथानिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री गंगाराम परिहार (मालिक एवं विक्रेता), निवासी 91, पाटिया वाला बेरा, कोटड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ मावा का स्टॉक बेचने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए पाया गया। मालिक एवं विक्रेता से वर्ष 2017 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होंने पेश किया एवं वेट 03 की प्रति पेश की। फर्म का निरीक्षण करने पर एक काउन्टर पर फ्रिज में **खाद्य पदार्थ लगभग 3 किलोग्राम मावा** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाह श्री सेठाराम पुत्र श्री गोकुलराम उम्र 34 वर्ष, जाति माली निवासी पलुंडिया बेरा, राजासनी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को उनके बताये गये बाजार भाव से रूपये 250/- नगद देकर **खाद्य पदार्थ मावा 1 किलोग्राम** वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ मावा 1 किलोग्राम** अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी खाली स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदे फॉर्मलिंग की डाली अच्छी तरह हिलाया ओर एयर टाइट बंद किया। इन

चारों भागों के लिए चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी-545 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी-545 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे गोलाई में गोंद से चिपकाई गयी एवं चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एडी-545 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की तथा मौका फर्द पर स्वयं गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में एडी 545 की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/231/एक्ट/2017/232 दिनांक 23.03.2017 अभिहित अधिकारी उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **मावा** का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने पर **असुरक्षित खाद्य (Unsafe Food)** होना पाया गया। खाद्य पदार्थ मावा के विक्रेता श्री रामेश्वर सिंह द्वारा उक्त जांच से संतुष्ट नहीं होने पर उनके निवेदन पर अभिहित अधिकारी उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर द्वारा उक्त नमूने का द्वितीय भाग निदेशक, निर्दीष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को पुनः जांच हेतु भिजवाने पर उनकी जांच रिपोर्ट फॉर्म 'ए' सर्टिफिकेट संख्या 536F/FSSA/2017 दिनांक 20.12.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **मावा** का नमूना Milk Fat % by wt. (on dry basis) मानक स्तर से कम होने के कारण **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश मूल, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, एफएसएसए के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या 22215039000900, फार्म वेट-03 की प्रति, नमूना संख्या एडी-545 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एडी-545 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी को जमा जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 386-87, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/231/एक्ट/2017/232, विक्रेता श्री रामेश्वरसिंह को आगामी अनुसंधान हेतु लिखा गया पत्र संख्या 487 दिनांक 20.04.17,

श्री रामेश्वरसिंह द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 26.04.17, श्री रामेश्वर सिंह को निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा पत्र संख्या 45-46 दिनांक 24.01.2018, डाइरेक्टर रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर का अग्रेषण पत्र संख्या FT/AQCL/FSSA(536F)/2017 दिनांक 20.12.2017, रेफरल लेब की जांच रिपोर्ट फार्म 'ए' सर्टिफिकेट संख्या 536F/FSSA/2017 दिनांक 20.12.2017, पत्रावली पेश करने हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 15.02.18 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण से संबंधित बहस की जिसमें उन्होने बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा में कोई मिलावट नहीं है। मैंने मावा अन्य स्थान से खरीदकर मिटाईया बनाने व विक्रय हेतु लाकर रखा हुआ था। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गयी है एवं किसी भी प्रकार से असुरक्षित खाद्य पदार्थ नहीं है। अतः अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में परिवाद में कम से कम जुर्माना से दण्डित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर एवं निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 के तहत दोषी है। अतः अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 2,500/- (अक्षरे रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र) आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 08.05.2018 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 08.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर